# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

फोन न: 0141–2228066, फैक्स न: 0141–2228065 ई–मेल: rmsc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2021 3442 दिनांक : 28/2/2022

## कार्यालय आदेश

M/s GLS Pharma Ltd, R4, Main Road Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi-110017 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(279)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-04/2020/384 दिनांक 03.03.2020 के तहत औषधि Melphalan Tablets IP 5mg (code no. 151) के क्रयादेश क्रमांक 1684 दिनांक 21.09.2021 के द्वारा 750 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 701 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा 800 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 3118 दिनांक 26.03.2021 के द्वारा 500 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरूद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 2312 दिनांक 25.11.2021 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 20.01.2022 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार–विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लघंन है।

अनुशासनात्मक समिति पत्र दिनांक 16.02.2022 की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s GLS Pharma Ltd, R4, Main Road Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi-110017 को औषधि Melphalan Tablets IP 5mg (code no. 151) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18/2/22

(अनुपमा जोरवाल)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04(     )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2021 3442          दिनांक : 28/2/2022.

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/नई दिल्ली।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिकस), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s GLS Pharma Ltd, R4, Main Road Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi-110017
13. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.